[2018] 14 एस.सी.आर. 1056

सुरेंद्र सिंह एवं अन्य

बनाम

उत्तराखंड राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 1768, 2010)

दिसम्बर 04,2018

[अभय मनोहर सप्रे और इंदु मल्होत्रा, जे.जे.]

पैनल कोड, 1860:

उपधारा 457, 380 और 302/34 - अभियोजन - तीन अभियुक्तों का - परिस्थितिजन्य साक्ष्य - नीचे की अदालतों द्वारा तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया जाना - लंबित रहने के दौरान ए-1 की मृत्यु के कारण ए-1 के विरुद्ध अपील निरस्त कर दी गई उच्चतम न्यायालय में अपील की - माना गया: सभी परिस्थितियाँ। मकसद, आरोपी को आखिरी बार देखा गया, आरोपी की निशानदेही पर चोरी की गई वस्तुओं की बरामदगी और वस्तुओं की पहचान, आरोपी की निशानदेही पर अपराध के हथियार की खोज; ए-1 के कहने पर अभियुक्त के खून से सने कपड़ों की बरामदगी और मृतक की दुकान का ताला और चाबी की खोज, सभी उचित संदेह से परे मौखिक साक्ष्य की सहायता से अभियोजन पक्ष द्वारा साबित की गई थी - अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित किया गया है कि अपीलकर्ताओं के अलावा कोई और व्यक्ति अपराध में शामिल नहीं था।

भारत का संविधान:

अनुच्छेद 136 - क्षेत्राधिकार - का दायरा - माना गया: जब नीचे की दो अदालतों ने संपूर्ण नेत्र साक्ष्य की सराहना की है, तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 136 साक्ष्य की नए सिरे से सराहना करने के लिए के तहत अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में बहुत धीमा होगा, जब तक कि समवर्ती निष्कर्ष पूरी तरह से विकृत न हों या बिना किसी साक्ष्य के दर्ज न किए गए हों या भौतिक साक्ष्यों को गलत तरीके से पढ़कर या अनदेखा करके दर्ज न किए गए हों।

अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने

कहा: 1. जब नीचे की दो अदालतों ने अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में संपूर्ण नेत्र साक्ष्य की सराहना की है, तो यह न्यायालय नए सिरे से साक्ष्य की सराहना करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में बहुत धीमी होगी, जब तक कि अपीलकर्ता यह बताने में सक्षम न हों कि नीचे दी गई दो अदालतों के समवर्ती निष्कर्ष पूरी तरह से विकृत हैं या बिना किसी सबूत के दर्ज किए गए हैं या भौतिक साक्ष्य को गलत तरीके से पढ़कर या अनदेखा करके दर्ज किए गए हैं।

लछमन सिंह बनाम राज्य एआईआर 1952 एससी 167: [1952] एससीआर 839 - संदर्भित।

2.1 अभियोजन पक्ष द्वारा पीडब्लूएस 3, 4, 10 और 11 के नेत्र साक्ष्य की सहायता से नीचे की दो अदालतों द्वारा मकसद को साबित किया गया था। इस मुद्दे पर अभियोजन पक्ष के इन चार गवाहों के साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। सबसे पहले, बचाव पक्ष द्वारा कोई सबूत पेश नहीं किया गया; दूसरे, अभियुक्त द्वारा सीआरपीसी की धारा 313 के तहत कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। कार्यवाही; तीसरा, आरोपी व्यक्तियों और 'आर' सहित सभी चार गवाह एक-दूसरे को जानते थे क्योंकि सभी एक ही गांव और आसपास के इलाके के निवासी थे। [पैरा 34 और 35]

2.2 दूसरी परिस्थिति "अपीलकर्ताओं को अंतिम बार देखे जाने" की है। इसे पीडब्लू 3, 11 और 13 के नेत्र साक्ष्य की सहायता से नीचे की दो अदालतों द्वारा साबित किया गया था। इस मुद्दे पर इन तीन गवाहों के साक्ष्य पर अविश्वास करने का फिर से कोई कारण नहीं है। सबसे पहले, बचाव पक्ष द्वारा कोई सबूत पेश नहीं किया गया; दूसरा, अभियुक्त द्वारा सीआरपीसी की धारा 313 के तहत कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। कार्यवाही और अंत में, यह उन घटनाओं की श्रृंखला को साबित करने के लिए प्रासंगिक परिस्थितियों में से एक थी जिसके कारण अपराध हुआ। [पैरा 37 और 38]

2.3 तीसरी परिस्थिति "आरोपी व्यक्तियों की निशानदेही पर चोरी की गई वस्तुओं की बरामदगी" की है। इसे पीडब्लू 3, 8 और 14 के साक्ष्यों की सहायता से साबित किया गया था। यह घटनाओं की श्रृंखला को साबित करने के लिए प्रासंगिक परिस्थितियों में से एक थी, जिसके कारण अपराध हुआ। कारण यह था कि मृतक अपनी दुकान में सो रहा था जहां वह मृत पाया गया और उसकी दुकान में बिक्री के लिए रखे गए कई सामान जो गायब पाए गए थे, बाद में आरोपी व्यक्तियों की निशानदेही पर बरामद कर लिए गए। इस मसले पर आरोपियों की ओर से

न तो कोई सबूत दिया गया और न ही कोई स्पष्टीकरण. इसलिए, इस मुद्दे पर निष्कर्ष को उलटने के लिए इस परिस्थिति में दोष ढूंढने का कोई कारण नहीं है।[पैरा 39,40 और 41]

2.4 चौथी परिस्थिति "चोरी हुई वस्तुओं की पहचान" की है। इसे पीडब्लू 3 और 8 के साक्ष्यों की सहायता से साबित किया गया था। यह साबित किया गया था कि अपीलकर्ताओं के कहने पर बरामद की गई वस्तुओं का इन दो गवाहों की सहायता से चोरी की गई वस्तुओं से मिलान किया गया था। चूंकि सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपीलकर्ताओं द्वारा न तो कोई बचाव साक्ष्य था और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया गया था। कार्यवाही में, निचली दो अदालतों द्वारा चौथी परिस्थिति को सिद्ध मानना उचित था। यह निस्संदेह अपीलकर्ताओं द्वारा अपराध के कमीशन को साबित करने के लिए घटना की श्रृंखला को साबित करने के लिए प्रासंगिक परिस्थितियों में से एक था। [पैरा 42 और 43]

2.5 पांचवीं परिस्थिति ए-3 के उदाहरण पर अपराध के हथियार की खोज की है। इसे पीडब्लू-10 के साक्ष्यों की सहायता से सिद्ध किया गया। अपराध के घटित होने में घटनाओं की श्रृंखला को साबित करने के लिए यह महत्वपूर्ण परिस्थितियों में से एक थी। विस्तार. का-20 हथियार "व्हील-पैना" है जिसका उपयोग मृतक के सिर पर हमला करने के लिए किया जाता था। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने भी इस बात की पुष्टि की कि मृतक के सिर पर लगी चोट व्हील-पैना के इस्तेमाल से लगी हो सकती है. इस साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है और न ही इस साक्ष्य को खारिज करने के लिए कोई सामग्री है।[पैरा 44, 45 और 46]

2.6 छठी परिस्थिति "मानव रक्त वाले कपड़ों की बरामदगी" की है। अपीलकर्ताओं की निशानदेही पर कपड़े बरामद किए गए और इसे साक्ष्य के रूप में विधिवत साबित किया गया। यह समान रूप से घटनाओं की श्रृंखला को साबित करने में प्रासंगिक परिस्थितियों में से एक है, जिसके कारण अपराध हुआ और अपीलकर्ताओं के उदाहरण पर किसी भी चुनौती के अभाव में इस तथ्य को साबित नहीं करने का कोई आधार नहीं है। [पैरा 47 और 48]

2.7 सातवीं परिस्थिति "मृतक की दुकान के ताले और चाबी की खोज" की है। इसे A-1 के कहने पर बरामद किया गया था और पीडब्लूएस-12 और 14 के साक्ष्य की सहायता से साबित किया गया था। [पैरा 49]

2.8 इस प्रकार, सभी परिस्थितियों को मौखिक साक्ष्य की सहायता से अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया गया था। उचित संदेह, जिसके कारण अपराध घटित हुआ। सभी परिस्थितियाँ, अपीलकर्ताओं के प्रति अपराधबोध और अपराध में उनकी संलिप्तता की ओर इशारा करती हैं।

अभियोजन पक्ष द्वारा यह स्थापित किया गया है कि अपीलकर्ताओं के अलावा कोई और नहीं, जो अपराध के कमीशन में शामिल व्यक्ति थे और उन्होंने मृतक को खत्म करने की साजिश रची थी। नीचे दिए गए दो न्यायालयों द्वारा दिए गए तर्क और निष्कर्ष में कोई विकृति या मनमानी या अवैधता नहीं है, जब यह माना गया कि यह अपीलकर्ता ही थे जिन्होंने प्रश्न में अपराध किया था। [पैरा 50 और 51]

केस कानून संदर्भ

[1952] एससीआर 839 पैरा 31 को संदर्भित करता है

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2010 की आपराधिक अपील संख्या 1768।

सीआरएल. ए में उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल के दिनांक 30.12.2009 के निर्णय और आदेश से। 2001 का क्रमांक 1644 (पुराना क्रमांक 2113/1996)

सी. एन. श्री कुमार, अमित शर्मा, पी. आर. नायक, अपीलकर्ताओं के लिए सलाहकार।

जतिंदर कुमार भाटिया, तन्मय अग्रवाल प्रतिवादी के लिए सलाहकार।

अदालत का फैसला **अभय मनोहर सप्रे, जे.** द्वारा सुनाया गया।

1.यह अपील 2001 की आपराधिक अपील संख्या 1644 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 30.12.2009 के खिलाफ निर्देशित है। पुराना नंबर 2113/1996) जिसके तहत उच्च न्यायालय ने आरोपी-अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और 1990 के सत्र परीक्षण संख्या 7 में सत्र न्यायाधीश, टिहरी गढ़वाल द्वारा पारित दिनांक 11.10.1996 के आदेश की पुष्टि की।

2. आदेश में इस अपील में शामिल मुद्दों की सराहना करने के लिए, नीचे दिए गए प्रासंगिक तथ्यों को बताना आवश्यक है।

3. तीन व्यक्तियों, अर्थात्, रामेश्वर सिंह (ए-1), सुरेंद्र सिंह (ए-2) और राम सिंह (ए-3) पर एक राजेंद्र प्रसाद की हत्या के अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया था। सत्र न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को राजेंद्र प्रसाद की हत्या करने के लिए दोषी ठहराया और तदनुसार तीनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद "आईपीसी™" के रूप में संदर्भित) की धारा 457, 380 और 302/34 के तहत दोषी ठहराया। तदनुसार, उन्हें आईपीसी की धारा 457 के तहत दो साल के कठोर कारावास और 1500/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई और जुर्माने का

भुगतान न करने पर छह महीने के अतिरिक्त कठोर कारावास, दो साल के कठोर कारावास और 1500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। 1500/- और जुर्माना अदा न करने पर धारा 380 आईपीसी के तहत छह महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास और धारा 302/34 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास भुगतना होगा। हालाँकि, सभी सजाएँ एक साथ चलनी थीं।

4. तीनों अभियुक्तों ने व्यथित होकर उत्तराखंड उच्च न्यायालय में आपराधिक अपील दायर की। आक्षेपित निर्णय/आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया और तीनों अभियुक्तों को सत्र न्यायाधीश द्वारा दी गई दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की।

5. इसलिए, तीनों अभियुक्तों ने अपनी अपील खारिज होने से व्यथित महसूस किया और इस न्यायालय में विशेष अनुमति के माध्यम से अपील दायर की। अपील के लंबित रहने के दौरान, रामेश्वर सिंह (ए-1) की मृत्यु हो गई और इसलिए, उनके खिलाफ अपील निरस्त कर दी गई। अपील अब शेष दो आरोपी व्यक्तियों, सुरेंद्र सिंह (ए-2) और राम सिंह (ए-3) के अनुरोध पर गुण-दोष के आधार पर विचार के लिए बची हुई है।

6. इस अपील में विचार के लिए जो प्रश्न उठता है, वह यह है कि क्या अपीलकर्ताओं, यानी सुरेंद्र सिंह (ए- 2) और राम सिंह (ए - 3) को प्रश्नगत या संबंधित अपराधों के लिए दोषी ठहराना नीचे की दो अदालतों द्वारा उचित था। दूसरे शब्दों में, क्या अभियोजन पक्ष वर्तमान दो अपीलकर्ताओं के खिलाफ सभी उचित संदेह से परे अपना मामला साबित करने में सक्षम था जैसा कि नीचे की दो अदालतों ने उनके खिलाफ माना था।

7. मुद्दों की जांच करने के लिए, अभियोजन के मामले को संक्षेप में बताना आवश्यक है।

8. राजेंद्र कुमार (मृतक) ग्राम अमनी, थाना देवप्रयाग, जिला टिहरी गढ़वाल के निवासी थे। मृतक अपनी आजीविका के लिए गांव में दुकान चलाता था। रामेश्वर सिंह (ए-1) अमनी गांव में एक व्यक्ति रक्षानंद से मिलने आते थे, जो कुछ गैरकानूनी व्यापारिक कारोबार में शामिल था। यह देखकर, राजेंद्र कुमार ने रक्षानंद के घर पर रामेश्वर सिंह (ए-1) के दौरे पर आपत्ति जताई थी। इसके कारण, रामेश्वर सिंह ने राजेंद्र कुमार के प्रति द्वेष पैदा कर लिया था और प्रतिशोध में उन्होंने तीन व्यक्तियों, अर्थात् किमी की उपस्थिति में उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। केएम असुर(पीडब्लू-3), श्रीमती सुरति (पीडब्लू-4) और धीरेंद्र प्रसाद (पीडब्लू-11)।

9.0n 21/01/1990, राजेंद्र कुमार रात को अपने घर में खाना खाने के बाद रात को सोने के लिए अपनी दुकान पर चले गये। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि उपरोक्त तीन व्यक्तियों

ने अपराध करने से पहले रामेश्वर सिंह (ए-1) को दो अन्य व्यक्तियों के साथ एक मारुति वैन (यूएमटी-8062) में देवप्रयाग की ओर से उस क्षेत्र में आते देखा था।

10. मध्यरात्रि में, दुकान का ताला खुला हुआ पाया गया और 2000/- रुपये नकद और कुछ कपड़े का सामान (टेरी-कॉट के दो बंडल, 4 चादरें, एक पैंट का टुकड़ा, एक शर्ट, एक पतलून और टॉर्च) गायब पाया गया। राजेंद्र प्रसाद के सिर पर जोरदार हमला किया गया, जिससे उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। उनका शव अगले दिन सुबह यानी 22.01.1990 को गांव सभा, अमनी के प्रधान सुरेंद्र भट्ट ने गांव अमनी के जल स्रोत से लगभग 300 मीटर की दूरी पर पड़ा देखा।

11. इसलिए, उन्होंने लगभग 9.35 बजे एफआईआर (एक्सटेंशन.केए -1) दर्ज कराई। सुबह पुलिस स्टेशन, देवप्रयाग में, जो घटनास्थल से लगभग 12 किमी दूर था। एफआईआर में बताया गया कि जब सुरेंद्र भट्ट अपने घर से बस स्टेशन जा रहे थे, तो उन्होंने सड़क पर खून के धब्बे देखे और सड़क के किनारे एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ देखा, जिसका चेहरा झाड़ियों में छिपा हुआ था।

12. इसके बाद सुरेंद्र भट्ट जलस्रोत के पास गये और वहां से पानी ले रहे सीता राम को घटना की जानकारी दी. उनके साथ सुरेंद्र भट्ट का बच्चा भी था. वह भी पास के इलाके में पहुंचे और कुछ लोगों को बुलाया। इस तरह घटना की सूचना पर 4-5 लोग वहां जमा हो गये. फिर सभी लोग उस स्थान पर गए जहां शव पड़ा हुआ था। पहचान हुई कि यह राजेंद्र प्रसाद का है।

13. एफआईआर के आधार पर हेड मोहर्रिर जगदीश प्रसाद ने रिपोर्ट (एक्सटेंशन.केए -8) दर्ज कराई और फिर मामला (एक्सटेंशन.केए -9) भी दर्ज किया. फिर मामला जांच अधिकारी 10) एम.आर. दुग्ताल, एस.आई. को सौंप दिया गया। आईओ ने तब घटनास्थल का दौरा किया और शव (एक्सटेंशन.केए -3) पर जांच रिपोर्ट तैयार की। उन्होंने सील (एक्सटेंशन.केए-10), फोटो लैश (एक्सटेंशन केए-11), सीएमओ को भेजा गया पत्र (एक्सटेंशन.केए-12), चालान (एक्सटेंशन केए-13), और साइट प्लान के नमूने भी तैयार किए। (एक्सटेंशन.केए -14). उन्होंने सुरेंद्र भट्ट का बयान भी दर्ज किया. फिर शव को वहां से हटाया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. किमी. मृतक की बेटी असुर ने 10 को चोरी गये सामान की सूची दी. इसके बाद आईओ ने मृतक की दुकान का दौरा किया और साइट प्लान (एक्सटेंशन.केए -15) तैयार किया। उन्होंने दो कंटेनरों में खून के धब्बे और मिट्टी के नमूने भी लिए. (एक्सटेंशन.केए -14 और 15) और बीरी (एक्सटेंशन.केए -16), एक माचिस की डिब्बी (एक्सटेंशन.केए -17), एक टोपी (एक्सटेंशन.केए -18), एक जोड़ी

चप्पल (एक्सटेंशन.केए -18) भी एकत्र किया -19) मौके से मेमो (एक्सटेंशन.केए -16) तैयार कर पुलिस अभिरक्षा में ले लिया।

14. डॉ. एन.के.सक्सेना ने पोस्टमार्टम किया और शव पर 9 चोटें पाईं, अर्थात् (1) माथे के सामने 5 सेमी x 1/2 सेमी गहरी हड्डी का कटा हुआ घाव, भौंह से 4 सेमी ऊपर, (2) फटा हुआ घाव 3 सेमी x 1/2 सेमी मांसपेशी गहरी, दाहिनी ओर निचला जबड़ा, निचले होंठ से 2 सेमी नीचे, (3) दाहिनी ओर चेहरे पर 1/2 x 2 सेमी का कटा हुआ घाव, चोट संख्या 2 के पार्श्व में 2 सेमी, (4) कटा हुआ घाव 1/2 x 1/2 दाहिने फ्रैगस के सामने गहरी मांसपेशी, (5) कटा हुआ घाव 1/2 x 1/2 सेमी, दाहिनी ओर चेहरे पर गहरी मांसपेशी, चोट संख्या 4 से 3 सेमी नीचे, (6) ललाट की हड्डी का फ्रैक्चर, (7) फटा हुआ घाव 3 सेमी x 1/2 सेमी x हड्डी गहरी, दाहिनी पार्श्विका हड्डी पर, (8) क्षत-विक्षत घाव 10 सेमी x 4 सेमी x हड्डी गहरी, दाहिनी पार्श्विका और पश्चकपाल हड्डी पर और (9) बाएं कान का बाहरी भाग पूरा फटा हुआ, क्षत-विक्षत घाव जो सी तक जाता है हड्डी- पदार्थ. सभी पोस्टमार्टम से पहले थे। आंतरिक जांच में उन्हें खोपड़ी की पार्श्विका और ललाट की हड्डियों में फ्रैक्चर पाया गया। उन्होंने कहा कि मौत का कारण सदमा और मृत्यु पूर्व चोटों के कारण रक्तस्राव था। उन्होंने यह भी कहा कि मृतक की मृत्यु 21-22 की दरमियानी रात करीब 8-9 बजे हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट (एक्सटेंशन.केए -5) है।

15. इसके बाद आईओ ने किलोमीटर के बयान दर्ज किए। असुर, धीरेंद्र प्रसाद, माधो सिंह और सदा सिंह. इसके परिणामस्वरूप 11/02/1990 को आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई।

16. पूछताछ करने पर रामेश्वर सिंह (ए-1) की निशानदेही पर दुकान से चोरी गया एक बुशशर्ट, पैंट, टेरी-कॉट का एक पैंट का टुकड़ा बरामद किया गया। इसके अलावा मसूरी टैक्सी स्टैंड, देहरादून स्थित खोके से एक खून से सनी जर्सी भी बरामद की गई। सुरेंद्र सिंह (ए-2) की निशानदेही पर, भारूवाला, देहरादून स्थित उसके घर से एक खून से सनी शर्ट और पैंट, चोरी की शर्ट, पैंट और 2 चादरें बरामद की गईं। इसी तरह, राम सिंह (ए-3) की निशानदेही पर उसके घर से चुराई गई एक पैंट, एक शर्ट, दो चादरें और एक टॉर्च बरामद की गई। इसके अलावा, मारुति वैन (यूएमटी-8062), व्हील-पना (एक्सट. केए-20) जो अपराध को अंजाम देने में इस्तेमाल की गई थी, को भी देहरादून में एक अनूप कुमार के घर से बरामद किया गया।

17. आईओ ने तदनुसार ए-1, ए-2 और ए-3 और अनूप कुमार (विस्तार केए-21 से केए-24) के घरों की साइट योजना तैयार की। 10 ने ए-1 की निशानदेही पर ग्राम ग्युली स्थित सड़क

के पास मृतक की दुकान का ताला और चाबी भी खोज ली। तदनुसार, रिकवरी मेमो (एक्सट.के.ए.-5 और साइट प्लान (एक्सटेंशन.केए--25) तैयार किया गया।

18. आईओ ने तब मृतक की दो बेटियों-के.एम. असुर और गुड्डी से चोरी हुए सामान की पहचान कराई। जिन्होंने मृतक की दुकान से चुराई गई वस्तुओं की विधिवत पहचान की। तदनुसार, पहचान ज्ञापन (एक्सटेंशन.केए -7) तैयार किया गया।

19. जांच पूरी होने पर, आरोप पत्र दायर किया गया और मामला दर्ज किया गया मुकदमे के लिए सत्र न्यायालय। अभियोजन पक्ष ने 14 गवाहों से पूछताछ की। तीनों आरोपियों ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 (इसके बाद "सीआरपीसी" के रूप में संदर्भित) के तहत अपने बयान में अभियोजन पक्ष के मामले से इनकार किया। जैसा कि ऊपर बताया गया है, सत्र न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को दोषी पाया और तदनुसार उन्हें आईपीसी की धारा 457, 380 और 302/34 के तहत दोषी ठहराया और उनमें से प्रत्येक को उपरोक्त सजा सुनाई। आरोपियों द्वारा दायर अपील में, उच्च न्यायालय ने आदेश की पुष्टि की दोषसिद्धि और सजा की और उनकी अपील को खारिज कर दिया, जिससे आरोपी व्यक्तियों द्वारा इस न्यायालय में विशेष अनुमति के माध्यम से वर्तमान अपील दायर करने का मौका मिलता है।

20. सुना है श्री सी.एन. अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वकील श्री कुमार और प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील श्री जतिंदर कुमार भाटिया थे।

21. अपीलकर्ताओं (अभियुक्त व्यक्तियों) के विद्वान वकील ने मुख्य रूप से पांच बिंदुओं का आग्रह किया।

22. सबसे पहले, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और, उनके अनुसार, अभियोजन पक्ष सभी उचित संदेह से परे मामले को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश करने में विफल रहा है।

23. उनका कहना था कि वास्तव में यह अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई सबूत नहीं होने का मामला है और इसलिए, नीचे के दो न्यायालयों द्वारा अपीलकर्ताओं की सजा कानून में पूरी तरह से टिकाऊ नहीं है।

24. दूसरे स्थान पर, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष घटनाओं की श्रृंखला को साबित करने में विफल रहा है, जो कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में आरोपी को अपराध से जोड़ने के लिए बुनियादी आवश्यकता थी और इसलिए, दोषसिद्धि कानूनी रूप से अस्थिर है।

25. तीसरे स्थान पर, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों को अपराध से जोड़ने के लिए घटनाओं की श्रृंखला को साबित करने के लिए जो भी सबूत पेश किए हैं, वे अपराध में अपीलकर्ताओं की मिलीभगत को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। अपराध। किसी भी घटना में, विद्वान वकील के अनुसार, प्रस्तुत साक्ष्य अपीलकर्ताओं की सजा को बनाए रखने के लिए विश्वसनीय नहीं है।

26. चौथे स्थान पर, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत अपराध को अंजाम देने के लिए अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई मकसद साबित नहीं किया जा सका और इसलिए, दोषसिद्धि कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है।

27. और अंत में, विद्वान वकील ने अपनी दलीलों को विस्तार से बताते हुए नीचे दिए गए दो न्यायालयों के साक्ष्य और निष्कर्षों से हमें अवगत कराया और तर्क दिया कि नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष पूरी तरह से "विकृत" हैं क्योंकि वे उन साक्ष्यों पर आधारित हैं जो इसकी गुणवत्ता या/और पर्याप्तता के अभाव में यह विश्वसनीय नहीं है।

28. उत्तर में, प्रतिवादी (राज्य) के विद्वान वकील ने अपीलकर्ताओं की सजा का समर्थन किया और प्रार्थना की कि आक्षेपित निर्णय में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और अपील खारिज होने योग्य है।

29. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और मामले के रिकॉर्ड पर गौर करने के बाद, हमें अपीलकर्ताओं (अभियुक्तों) के विद्वान वकील द्वारा आग्रह की गई किसी भी दलील में कोई बल नहीं मिला।

30. सबसे पहले, हम यह कहना उचित समझते हैं कि जब नीचे के दो न्यायालयों ने अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में संपूर्ण नेत्र साक्ष्य की सराहना की है, तो यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग करने में बहुत धीमी गति से काम करेगा। जब तक अपीलकर्ता यह बताने में सक्षम न हो जाएं कि नीचे दिए गए दो न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष पूरी तरह से विकृत हैं या बिना किसी सबूत के दर्ज किए गए हैं या भौतिक साक्ष्य

को गलत तरीके से पढ़कर या अनदेखा करके दर्ज किए गए हैं, तब तक नए सिरे से साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे।

31. हम **<u>लछमन सिंह बनाम राज्य</u>** (एआईआर 1952 एससी 167 पेज 169 पर) के मामले में बेंच के लिए बोलते हुए, एक विद्वान न्यायाधीश, न्यायमूर्ति फज़ल अली के उपयुक्त शब्दों को याद करना उचित समझते हैं, जब उनके आधिपत्य ने कहा था, *"यह है यह कहना पर्याप्त है कि सबूतों का पुनर्मूल्यांकन करना इस न्यायालय का कार्य नहीं है और न्याय के एक बिंदु पर एक तर्क जो नीचे के न्यायालयों के साथ मान्य नहीं है, इस न्यायालय में अपीलकर्ताओं को लाभ नहीं पहुंचा सकता है"।*

32. फिर भी, हमने साक्ष्यों का अध्ययन किया है और नीचे दिए गए दो न्यायालयों के निष्कर्षों की जांच की है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वे कानून में टिकाऊ हैं।

33.इसमें कोई विवाद नहीं है कि पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। इसलिए, उन परिस्थितियों को देखना आवश्यक है, जिन्हें अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर नीचे दिए गए दो न्यायालयों द्वारा अपराध के लिए अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने के लिए साबित पाया गया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें दोषी ठहराया गया।

34. पहला- मकसद. अभियोजन पक्ष द्वारा पीडब्लू 3, 4, 10 और 11 के नेत्र साक्ष्य की सहायता से नीचे की दो अदालतों द्वारा इसे साबित किया गया था। इन गवाहों ने कहा कि रामेश्वर सिंह (ए-1) को मृतक के प्रति द्वेष था क्योंकि घटना की तारीख से बहुत पहले, उनके द्वारा यह देखा और सुना गया था कि मृतक, रामेश्वर सिंह (ए-1) से उसके करीबी होने पर आपत्ति करता था। रक्षानंद नामक व्यक्ति के साथ संबंध, जो गांव में अवैध कारोबार करने में शामिल था। इन गवाहों ने बताया कि मृतक द्वारा रामेश्वर सिंह के विरोध करने पर उसने एक दिन मृतक को जान से मारने की धमकी दी थी।

35. हमारे विचार में, इस मुद्दे पर अभियोजन पक्ष के इन चार गवाहों के साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। सबसे पहले, बचाव पक्ष द्वारा कोई सबूत पेश नहीं किया गया; दूसरे, अभियुक्त द्वारा सीआरपीसी की धारा 313 के तहत कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। कार्यवाही; तीसरा, सभी चार गवाह अभियुक्तों और रक्षानंद सहित एक-दूसरे को जानते थे क्योंकि सभी एक ही गांव और आसपास के इलाके के निवासी थे।

36. इसलिए, हमें उनके साक्ष्य को खारिज करने का कोई अच्छा कारण नहीं मिलता है, हमारी राय में, अपीलकर्ताओं के खिलाफ मकसद के सवाल पर तथ्य की खोज को दर्ज करने के लिए नीचे के दो न्यायालयों द्वारा सही माना गया था।

37. दूसरी परिस्थिति "अपीलकर्ताओं को अंतिम बार देखे जाने" की है। इसे पीडब्लू 3, 11 और 13 के नेत्र साक्ष्य की सहायता से नीचे की दो अदालतों द्वारा साबित किया गया था। यह साबित हुआ था कि राम सिंह (ए -3) मारुति वैन का चालक था, जिसका मालिक अनूप था। इस मारुति वैन को अपीलकर्ताओं को लेकर संबंधित क्षेत्र में अपराध करने से पहले जाते देखा गया था। यह वैन राम सिंह की निशानदेही पर बरामद की गई थी।

38. हमारे विचार में, इस मुद्दे पर इन तीन गवाहों के साक्ष्य पर अविश्वास करने का फिर से कोई कारण नहीं है। सबसे पहले, बचाव पक्ष द्वारा कोई सबूत पेश नहीं किया गया; दूसरा, अभियुक्त द्वारा सीआरपीसी की धारा 313 के तहत कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। कार्यवाही और अंत में, यह उन घटनाओं की श्रृंखला को साबित करने के लिए प्रासंगिक परिस्थितियों में से एक थी जिसके कारण अपराध हुआ।

39. तीसरी परिस्थिति "आरोपी व्यक्तियों की निशानदेही पर चोरी की गई वस्तुओं की बरामदगी" की है। इसे पीडब्लू 3, 8, और 14 के साक्ष्यों की सहायता से साबित किया गया था।

40. यह भी घटना की श्रृंखला को साबित करने के लिए प्रासंगिक परिस्थितियों में से एक थी, जिसके कारण अपराध हुआ। कारण यह था कि मृतक अपनी दुकान में सो रहा था जहां वह मृत पाया गया और उसकी दुकान में बिक्री के लिए रखे गए कई सामान जो गायब पाए गए थे, बाद में आरोपी व्यक्तियों की निशानदेही पर बरामद कर लिए गए।

41. इस मसले पर अभियुक्त की ओर से न तो कोई साक्ष्य दिया गया और न ही कोई स्पष्टीकरण. इसलिए, हमें इस मुद्दे पर निष्कर्ष को उलटने के लिए इस परिस्थिति में दोष ढूंढने का कोई कारण नहीं मिलता है।

42. चौथी परिस्थिति "चोरी हुए सामान की पहचान" की है। इसे पीडब्लू 3 और 8 के साक्ष्यों की सहायता से साबित किया गया था। यह साबित किया गया था कि अपीलकर्ताओं के कहने पर बरामद की गई वस्तुओं का इन दो गवाहों की सहायता से चोरी की गई वस्तुओं से मिलान किया गया था।

43. चूँकि सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपीलकर्ताओं द्वारा न तो कोई बचाव साक्ष्य था और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया गया था। कार्यवाही में, निचली दो अदालतों द्वारा चौथी परिस्थिति को सिद्ध मानना उचित था। यह निस्संदेह अपीलकर्ताओं द्वारा अपराध के कमीशन को साबित करने के लिए घटना की श्रृंखला को साबित करने के लिए प्रासंगिक परिस्थितियों में से एक था।

44. पांचवीं परिस्थिति राम सिंह (ए-3) की निशानदेही पर अपराध के हथियार की खोज की है। इसे पीडब्लू-10 के साक्ष्यों की सहायता से सिद्ध किया गया। अपराध के घटित होने में घटना की शृंखला को साबित करने के लिए यह महत्वपूर्ण परिस्थितियों में से एक थी।

45. विस्तार. का-20 हथियार "व्हील-पैना" है जिसका उपयोग मृतक के सिर पर हमला करने के लिए किया जाता था। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने भी इस बात की पुष्टि की कि मृतक के सिर पर लगी चोट व्हील-पैना के इस्तेमाल से लगी हो सकती है.

46. हमें इस साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं मिलता है और न ही अपीलकर्ताओं के कहने पर इस साक्ष्य को खारिज करने के लिए कोई सामग्री है।

47. छठी परिस्थिति "मानव रक्त वाले कपड़ों की बरामदगी" की है। अपीलकर्ताओं की निशानदेही पर कपड़े बरामद किए गए और इसे साक्ष्य के रूप में विधिवत साबित किया गया।

48. यह समान रूप से घटना की श्रृंखला को साबित करने में प्रासंगिक परिस्थितियों में से एक है, जिसके कारण अपराध हुआ और हमें इस तथ्य को अपीलकर्ताओं के अनुरोध पर किसी भी चुनौती के अभाव में साबित नहीं करने का कोई आधार नहीं मिला।

49. सातवीं परिस्थिति "मृतक की दुकान के ताले और चाबी की खोज" की है। इसे A-1 के कहने पर बरामद किया गया था और पीडब्लूएस-12 और 14 के साक्ष्यों की सहायता से साबित किया गया था।

50. हमारी सुविचारित राय में, उपरोक्त परिस्थितियाँ हैं, जिन्हें अभियोजन पक्ष ने मौखिक सहायता से साबित किया था सभी उचित संदेह से परे सबूत, जिसके कारण अपराध हुआ। हमारे विचार में, सभी परिस्थितियाँ अपीलकर्ताओं के प्रति अपराध की उंगली और अपराध के कमीशन में उनकी संलिप्तता की ओर इशारा करती हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा यह स्थापित किया गया है कि अपीलकर्ताओं के अलावा कोई और नहीं, जो अपराध के कमीशन में शामिल व्यक्ति थे और उन्होंने मृतक को खत्म करने की साजिश रची थी। यह साबित होता है कि इसी तरह का विचार

मन में लेकर वे 21-22 की मध्यरात्रि को दुकान में घुसे और मृतक के सिर पर व्हील-पैना से बेरहमी से हमला किया, उसकी दुकान लूट ली और चोरी का सामान अपने साथ ले गए। मृतक के शव को कुछ दूरी पर दुकान के बाहर सड़क के नीचे फेंक दिया।

51. हम नीचे दिए गए दो न्यायालयों द्वारा दिए गए तर्क और निष्कर्ष में किसी भी प्रकार की विकृति या मनमानी या अवैधता को नोटिस करने में असमर्थ हैं, जब यह माना गया कि यह अपीलकर्ता ही थे जिन्होंने प्रश्न में अपराध किया था।

52. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हम अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। इस प्रकार यह विफल हो जाता है और तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

कल्पना के.त्रिपाठी अपील खारिज

आशीष तिवारी द्वारा अनुवादित।